

प्रेषक,

ममता श्रीवास्तव,
संयुक्त सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
राज्य शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण
परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।

2. सचिव,
उ०प्र०, इलाहाबाद
परीक्षा नियामक प्राधिकारी,

बेसिक शिक्षा अनुभाग-4

लखनऊ दिनांक: 26 जुलाई, 2018

विषय- डी०एल०एड० (बी०टी०सी०) प्रशिक्षण 2018 के अन्तर्गत द्वितीय फेज की काउंसलिंग दिनांक 12.07.2018 से 27.07.2018 तक सम्पादित कराये जाने के उपरान्त प्रदेश में वर्गवार/श्रेणीवार रिक्त सीटों के प्रति शत-प्रतिशत सीटों पर प्रवेश के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ०प्र०, इलाहाबाद के पत्र संख्या-गोप०/डी०एल०एड०-18/8009-13/2018-19 दिनांक 11.07.2018, जो शासन को सम्बोधित तथा निदेशक, एस०सी०ई०आर०टी०, उ०प्र०, लखनऊ को पृष्ठांकित है, का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा डी०एल०एड० (बी०टी०सी०) प्रशिक्षण 2018 के अन्तर्गत द्वितीय फेज की काउंसलिंग दिनांक 12.07.2018 से 27.07.2018 तक सम्पादित कराये जाने के उपरान्त प्रदेश में वर्गवार/श्रेणीवार रिक्त सीटों के प्रति शत-प्रतिशत सीटों पर प्रवेश से सम्बन्धित प्रस्ताव पर विचार करते हुए डी०एल०एड० प्रशिक्षण में प्रवेश की अग्रिम कार्यवाही कराये जाने हेतु शासनादेश निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि डी०एल०एड० (बी०टी०सी०) प्रशिक्षण 2018 के अन्तर्गत द्वितीय चरण की प्रवेश प्रक्रिया के उपरान्त रिक्त सीटों को शत-प्रतिशत भरे जाने के उद्देश्य से राजकीय/निजी संस्थानों द्वारा डी०एल०एड० (बी०टी०सी०) प्रशिक्षण 2018 के अन्तर्गत ऑनलाइन आवेदन करने वाले अप्रवेशित अभ्यर्थियों से सीधे प्रवेश लिए जाने की कार्यवाही निम्नवत दिशानिर्देशों एवं समय-सारणी के अनुसार की जायेगी :-

1. डी०एल०एड० प्रशिक्षण 2018 के द्वितीय फेज (Phase_2) के द्वितीय राउंड के अन्तर्गत शत प्रतिशत सीटों को भरे जाने के उद्देश्य से आवेदन करने वाले समस्त पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति/जनजाति एवं विशेष आरक्षण श्रेणी के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर आरक्षित/विशेष आरक्षण की श्रेणी की रिक्त सीटों को सामान्य श्रेणी की सीट पर परिवर्तित करते हुए प्रवेश की कार्यवाही की जा चुकी है अतः

तृतीय चरण (Phase_3) में रिक्त समस्त सीटों को General (सामान्य) मानते हुए सीधे प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।

2. प्रदेश के समस्त जनपदों में संस्थानवार रिक्त सीटों की सूचना वेबसाइट updeled.gov.in पर प्रदर्शित की जायेगी। साथ ही प्रदेश के समस्त संस्थानों-को डी0एल0एड0 प्रशिक्षण 2018 के अन्तर्गत दिये गये कॉलेज लॉगिन आईडी में अद्यतन प्रवेश न पाने वाले समस्त अभ्यर्थियों की सूची उनके शैक्षिक गुणांक तथा मोबाइल/दूरभाष नं0 सहित प्रदर्शित की जायेगी, जिससे संस्थान अभ्यर्थियों से प्रवेश के सम्बन्ध में व्यक्तिगत सम्पर्क कर सके।
3. प्रदेश के समस्त राजकीय/निजी संस्थानों को रिक्त सीटों पर सीधे प्रवेश की अनुमति प्रदान करते हुए निर्देशित किया जाता है कि प्रशिक्षण संस्थान, डी0एल0एड0 प्रशिक्षण 2018 के अन्तर्गत ऑन लाइन आवेदन करने वाले स्टेट रैंक 00001 से 353140 तक के ऐसे अभ्यर्थी जिनका अद्यतन प्रवेश नहीं हुआ है, से ही रिक्त (समस्त सीटों को General मानते हुए) सीटों पर, प्रशिक्षण हेतु निर्धारित शुल्क डायट हेतु रू0 10200 तथा निजी संस्थानों हेतु रू0 41,000 जमा कराते हुए प्रवेश लेना सुनिश्चित करें। ऐसे अभ्यर्थी जिनका प्रवेश सुनिश्चित किया जा चुका है उन्हें कदापि इस प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
4. अभ्यर्थी अपने डी0एल0एड0 प्रशिक्षण 2018 के ऑनलाइन आवेदन पत्र एवं समस्त शैक्षिक, आरक्षण, विशेष आरक्षण आदि सुसंगत अभिलेखों के साथ निजी संस्थान में रिक्त सीटों के प्रति सीधे प्रवेश हेतु अपना आवेदन प्रस्तुत करेगा तथा निजी संस्थानों द्वारा अभ्यर्थियों के किये गये आवेदन के प्रति Receipt उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी अपने डी0एल0एड0 ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट वेबसाइट upbasiceduboard.gov.in से प्राप्त कर सकते हैं।
5. राजकीय/निजी संस्थानों द्वारा सीधे प्रवेश के लिए निर्धारित तिथियों में प्रतिदिन प्रवेश हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट तैयार कर, कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जायेगी तथा प्रवेश रिक्त सीटों पर मेरिट के सापेक्ष ही सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त प्रवेश की कार्यवाही के अन्तर्गत यदि किसी संस्थान के द्वारा मेरिट को इग्नोर कर प्रवेश लिये जाने की शिकायत प्राप्त होती है तो उक्त तथ्य के जाँचोपरान्त संस्थान के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।
6. प्रवेश हेतु निर्धारित समय के उपरान्त प्रतिदिन प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा वेबसाइट updeled.gov.in पर दिये गये कॉलेज लॉगिन आईडी/पासवर्ड के माध्यम से प्रवेश लिये गये अभ्यर्थियों को लॉक/रिपोर्ट करना सुनिश्चित किया जायेगा। निर्धारित अवधि तक वेबसाइट पर रिपोर्ट न किये जाने पर प्रवेश लिये गये अभ्यर्थियों का प्रवेश मान्य नहीं किया जायेगा।
7. डी0एल0एड0 प्रशिक्षण 2018 हेतु निर्गत शासनादेश दिनांक 23.05.2018